

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 443]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2013—भाद्र 29, शक 1935

सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. एफ 2-13-2011-छब्बीस-1.—निःशक्त व्यक्ति [समान अवसर अधिकारी संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम—1995 (1996 का 1)] की धारा-33 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 12 सितम्बर 2013 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लेखित 03 विभागों की स्थापना की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है :—

अनुसूची “एक”

- (1) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- (2) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत—
 - 2.1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
 - 2.2. मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल.
- (3) आवास एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत—
 - 3.1. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. जादौन, उपसचिव.

अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन

विभाग का नाम—(1) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

श्रेणी	पद संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकन पद/संवर्ग एवं संख्या			योग	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय	दंत शल्य चिकित्सक.	144	144	09	06	0	03	09	दृष्टि बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.

विभाग का नाम— (2.1) लोक निर्माण (प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, म.प्र.)

श्रेणी	विभागाध्यक्ष का नाम—प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग	पद संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकन पद/संवर्ग एवं संख्या			योग	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
						अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
द्वितीय श्रेणी	सहायक यंत्री (सिविल).	109	109	06	04	-	02	06	दृष्टि बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.	
द्वितीय श्रेणी	सहायक यंत्री (वि/यां).	22	22	01	01	-	-	01	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.	

विभाग का नाम— (2.2) लोक निर्माण (म.प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

श्रेणी	विभागाध्यक्ष का नाम—म.प्र. सड़क विकास निगम	पद संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकन पद/संवर्ग एवं संख्या			योग	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
						अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
कार्यपालक तृतीय.	प्रबंधक	33	33	1.98	01	-	01	02	दृष्टि बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय	सहायक महाप्रबंधक.	16	16	0.64	01	-	-	01	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.

विभाग का नाम— (3.1) आवास एवं पर्यावरण विभाग (म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

श्रेणी	पद संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकन पद/संवर्ग एवं संख्या			योग 6+7+8	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय	सहायक यंत्री पर्यावरण.	20	20	01	01	-	-	01	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.

हस्ता./-
(एस. खण्डाते)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग.

हस्ता./-
(व्ही. के. बाथम)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग.